अनुदान संख्या 47 – आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग (आयुष)

GRANT No. 47–DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	621,00,00	656,62,00	593,76,25	–62,85,75
पूरक	Supplementary	35,62,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				54,64,64
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		2,00,00	. .	–2,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (6285.75 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 3562.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.6285.75 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.3562.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and constituted 10 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2210'' चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Major Head "2210" Medical and Public Health				
मू.	O.	56160.00	59391.23	58603.77	–787.46
पू.	S.	3470.00			
पु.	R.	–238.77			

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	5340.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–5340.00			

(I) 5890.00 लाख रु. का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से 5840.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.5890.00 lakhs remained wholly unutilised under ten heads; of these Rs.5840.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" - "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां - अन्य पद्धतियां - आयुष अस्पताल और चिकित्सालयों में अतिरिक्त संघटक - तकनीकी अस्पतालों में विशिष्ट चिकित्सालयों/आईपीडी की स्थापना के लिए सरकारी - निजी भागीदारी के लिए स्कीम" - 500.00 लाख रु. व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(A) Major Head "2210" - "Urban Health Services – Other Systems of Medicines – Other Systems - Additional component in AYUSH Hospitals & Dispensaries - Scheme for public-private partnership for setting up of speciality clinics/IPDs in technical hospital" – Rs.500.00 lakhs – due to non-receipt of viable proposals.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552"

(B) Major Head "2552" –

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां - अन्य पद्धतियां" -

(a) "Urban Health Services - Other Systems of Medicines – Other Systems" -

(i) "चिकित्सीय पौधों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना" - 530.00 लाख रु.;

(i) "Setting up of National Board for Medicinal Plants" – Rs.530.00 lakhs;

(ii) "आयुष अस्पतालों के लिए स्कीम" - 650.00 लाख रु.;

(ii) "Scheme for AYUSH Hospitals" – Rs.650.00 lakhs;

(iii) "आयुष चिकित्सालयों के लिए स्कीम" - 650.00 लाख रु.;

(iii) "Scheme for AYUSH Dispensaries" – Rs.650.00 lakhs;

(iv) "राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप मिशन" - 741.00 लाख रु.;

(iv) "National Mission on Medicinal Plants" – Rs.741.00 lakhs;

(ख) ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - अन्य पद्धतियां'' -

(i) ''पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान, पासीघाट'' - 669.00 लाख रु.;

(ii) ''पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग'' - 1050.00 लाख रु.;

(ग) ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - आयुर्वेद'' -

(i) ''आयुष संस्थाओं/कालेजों का विकास और उन्नयन'' - 650.00 लाख रु.; और

(ii) ''आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण'' - 400.00 लाख रु.।

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2210'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां - आयुर्वेद - केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद अस्पताल, लोधी रोड'' - 241.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 10.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 251.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 183.93 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(खा) ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - आयुर्वेद - स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर'' - 1356.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 436.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1792.00 लाख रु. कर

(b) “Medical Education, Training & Research – Other Systems” –

(i) “North Eastern Institute of Folk Medicine, Passighat” - Rs.669.00 lakhs;

(ii) “North Eastern Institute of Ayurveda & Homoeopathy, Shillong” - Rs.1050.00 lakhs;

(c) “Medical Education, Training & Research – Ayurveda” –

(i) “Development and upgradation of AYUSH Institutions/Colleges” – Rs.650.00 lakhs; and

(ii) “Quality Control of ASU&H Drugs” – Rs.400.00 lakhs.

Provisions under the above eight heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head “2210” remained wholly unutilised under the following heads as shown against each:-

(A) “Urban Health Services - Other Systems of Medicines - Ayurveda – CGHS Ayurveda Hospital, Lodhi Road” – the original provision of Rs.241.00 lakhs was augmented to Rs.251.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.10.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.183.93 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts.

(B) “Medical Education, Training & Research - Ayurveda – Grants to Institute of Post Graduate Teaching & Research in Ayurveda, Jamnagar”- the original provision of Rs.1356.00 lakhs was augmented to Rs.1792.00 lakhs by

दिया गया। तथापि, 507.16 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) निर्माण कार्य के लिए भूमि उपलब्ध न होने और स्थायी वित्त समिति द्वारा संशोधित अनुमानों को विलंब से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2210'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां - आयुर्वेद - केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली को अनुदान'' - 94.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 27.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 121.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो संस्थान से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण 8.42 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान'' -

(क) ''यूनानी - राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर को अनुदान'' - 800.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 76.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 876.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो नए स्नातकोत्तर विभाग के लिए अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्रदान न किए जाने के कारण 10.78 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) ''अन्य पद्धतियां - मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान'' - 573.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 67.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 640.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो संस्थान में कतिपय सुविधाओं के शुरू न किए जाने की वजह से उपस्करों की अधिप्राप्ति में विलंब होने के कारण 60.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

obtaining supplementary grant of Rs.436.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.507.16 lakhs (including supplementary grant) - due to non-availability of land for construction work and delayed approval of the revised estimates by the Standing Finance Committee.

(III) Supplementary grant obtained under Major Head "2210" remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Urban Health Services – Other Systems of Medicines – Ayurveda – Grants to Central Council of Indian Medicine, New Delhi" - the original provision of Rs.94.00 lakhs was augmented to Rs.121.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.27.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.8.42 lakhs – due to non-receipt of proposals from the Institute.

(B) "Medical Education, Training & Research" –

(a) "Unani – Grants to National Institute of Unani Medicine, Bangalore" - the original provision of Rs.800.00 lakhs was augmented to Rs.876.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.76.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.10.78 lakhs – due to non-sanctioning of additional posts for new post-graduate department.

(b) "Other Systems – Morarji Desai National Institute of Yoga" - the original provision of Rs.573.00 lakhs was augmented to Rs.640.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.67.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.60.00 lakhs – due to delay in procurement of equipments owing to non-commissioning of certain facilities in the Institute.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2210'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(का) ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां'' -

(क) ''निदेशन और प्रशासन - आयुष पर अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम/संगोष्ठी कार्यशाला पर व्यय'' - 282.27 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्याप्त व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''आयुर्वेद - अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली'' - 1775.51 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डिजाइन की तैयारी में विलंब होने की वजह से निर्माण कार्य आरंभ न किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''अन्य पद्धतियां'' -

(i) ''अनुसंधान संस्थान (निजी/अर्ध सरकारी/सरकारी/विश्वविद्यालय/गैर-सरकारी संगठन)आदि के माध्यम से अतिरिक्त भिति अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनुदान'' - 388.92 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा सिफारिश की गई परियोजनाओं को तकनीकी/जांच समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''आयुष औषधालयों के लिए स्कीम'' - 797.08 लाख रु. की बचत (5350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iii) ''आयुष उद्योग समूहों के लिए सामान्य सुविधाओं का विकास'' - 1611.91 लाख रु. की बचत (2200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्याप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2210" – savings also occurred under the following heads:-

(A) "Urban Health Services – Other Systems of Medicines"-

(a) "Direction and Administration – Expenditure on International Exchange Prog/Seminar Workshop on AYUSH" – saving of Rs.282.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate viable proposals.

(b) "Ayurveda - All India Institute of Ayurvedic (AIIA), New Delhi" – saving of Rs.1775.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to non-taking up of construction work owing to delay in preparation of design.

(c) "Other Systems" -

(i) "Grants for Extra Mural Research Projects through Research Instt. (Pvt./Semi Govt./Govt./Universities/NGO) etc." – saving of Rs.388.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to non-approval of projects recommended by Project Evaluation Committee by Technical/Screening Committee.

(ii) "Scheme for AYUSH Dispensaries" – saving of Rs.797.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5350.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates.

(iii) "Development of Common Facilities for AYUSH Industry Clustres" – saving of Rs.1611.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2200.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate viable proposals.

(iv) ''स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं/दाई परंपरा/पशुचिकित्सीय देखभाल आदि को फिर से स्थापित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को निधीयन'' - 380.00 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बाह्य विशेषज्ञों को अदायगी न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - आयुर्वेद'' -

(क) ''आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण'' - 1574.01 लाख रु. की बचत (2600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्याप्त व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''आयुष संस्थाओं/कालेजों का विकास और उन्नयन'' - 1850.00 लाख रु. की बचत (5850.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार पर्याप्त व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(V) तीन शीर्षों के अंतर्गत 247.28 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक लेकिन 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 56 प्रतिशत से 96 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (8039.72 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2210'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां'' -

(क) ''निदेशन और प्रशासन - सूचना, शिक्षा और संचार पर व्यय'' - 100.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, 92.07 लाख रु. था।

(iv) "Funding of NGOs for revitalization of local health traditions/midwifery practices/ veterinary care etc." – saving of Rs.380.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-payment to external experts.

(B) "Medical Education, Training & Research – Ayurveda" -

(a) "Quality Control of ASU&H Drugs" - saving of Rs.1574.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2600.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate viable proposals.

(b) "Development and upgradation of AYUSH Institutions/Colleges" – saving of Rs.1850.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5850.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate viable proposals as per norms laid down by Central Council of Indian Medicine.

(V) Under three heads savings of Rs.247.28 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 56 percent to 96 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.8039.72 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs under Major Head "2210" – under the following heads:-

(A) "Urban Health Services – Other Systems of Medicines" –

(a) "Direction and Administration – Expenditure on Information, Education and Communication" – Rs.100.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.92.07 lakhs.

(ख) ''अन्य पद्धतियां - आयुष अस्पतालों के लिए स्कीम'' - 3148.57 लाख रु.।

(खा) ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान'' -

(क) ''आयुर्वेद - केंद्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद को अनुदान'' - 1538.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1504.64 लाख रु. था।

(ख) '' होम्योपैथी - केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को अनुदान'' - 560.00 लाख रु. थे।

(ग) ''यूनानी - केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान'' -1240.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1237.62 लाख रु. था।

(घ) ''अन्य पद्धतियां'' -

(i) ''केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान'' - 508.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 507.97 लाख रु. था।

(ii) ''राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई को अनुदान'' - 261.00 लाख रु.।

(iii) ''आयुष कार्मिकों/सतत चिकित्सा शिक्षा पुनरभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम'' - 100.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 89.92 लाख रु. था।

(iv) ''आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा में संलग्न गैर-सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्टता केंद्रों को सहायता'' - 584.15 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 583.94 लाख रु. था।

(b) "Other Systems – Scheme for AYUSH Hospitals" – Rs.3148.57 lakhs.

(B) "Medical Education, Training & Research" -

(a) "Ayurveda – Grants to Central Council for Research in Ayurveda & Siddha" – Rs.1538.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1504.64 lakhs.

(b) "Homoeopathy – Grants to Central Council for Research in Homoeopathy" – Rs.560.00 lakhs.

(c) "Unani – Grants to Central Council for Research in Unani Medicine" – Rs.1240.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1237.62 lakhs.

(d) "Other Systems" -

(i) "Grants to Central Council for Research in Yoga and Naturopathy" - Rs.508.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.507.97 lakhs.

(ii) "Grants to National Institute of Siddha, Chennai" - Rs.261.00 lakhs.

(iii) "Re-orientation Training Programme of AYUSH Personnel/Continuing Medical Education (ROTP/CME)" – Rs.100.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.89.92 lakhs.

(iv) "Assistance to accredited AYUSH Centres of Excellence in non-governmental/Private Sector engaged in AYUSH Education/ Drug Development & Research/Clinical Research/Folk Medicine etc." – Rs.584.15 lakhs. Actual excess, however, was Rs.583.94 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2210'' - ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां - अन्य पद्धतियां'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप बोर्ड की स्थापना'' - 506.22 लाख रु. का अधिक व्यय (3770.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) ''राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप मिशन'' - 682.74 लाख रु. का अधिक व्यय (2259.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 80.48 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2210" – "Urban Health Services – Other Systems of Medicines – Other Systems" - under the following heads:-

(A) "Setting up of National Board for Medicinal Plants" – excess of Rs.506.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3770.00 lakhs); and

(B) "National Mission on Medicinal Plants" – excess of Rs.682.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2259.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Regional and Sikkim.

(III) Under one head excess of Rs.80.48 lakhs occurred constituting 12 of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4210'' चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	200.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–200.00			

(I) 200.00 लाख रु. का प्रावधान ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - आयुर्वेद - भारतीय चिकित्सा भेषज-संग्रह प्रयोगशाला, गाजियाबाद'' के अंतर्गत एक मामले में स्कीम को विलंब से अनुमोदित किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और अंततः इसे अभ्यर्पित कर दिया गया।

(I) Provision of Rs.200.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under "Medical Education, Training and Research – Ayurveda – Pharmacopoeia Laboratory of Indian Medicine, Ghaziabad" - due to delay in approval of the scheme and was eventually surrendered.